रजिस्टर्ड नं०–एं०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 18 फरवरी, 2023 ई० (माघ 29, 1944 शक संवत्) [संख्या 7

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	105—114	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	121—186	1500 (भाग 1 से भाग 1–ख (2) तक)
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		975 (भाग 6–क से भाग 7–ख तक)
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	5—8	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	103—105	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग-3

तैनाती

20 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 796(आठ)/चि0-3-2022—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0 प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (पैथालॉजिस्ट) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0 प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

[ii] उ0 प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम /पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800027388	एस-02	डा0 प्रवेश गुप्ता पुत्र श्री राम बाबू गुप्ता	म0नं0-216 बौर बाजार, अर्तरा, बॉदा, उ0प्र0-210201	200 शैया रेफरेल, चिकित्सालय, तिलोई	अमेठी।

सं0 796(नौ)/चि0-3-2022–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0 प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (जनरल फिजीशियन) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम–19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0 प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ0 प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम /पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
	53800008949	एस-54	डा0 स्वाति पति श्री अनीश कुमार गुप्ता	म0नं0-574, महमूदपुर, मुगल सराय, चन्दौली-7232101	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरोहा	अमरोहा।

14 मई, 2022 ई0

सं0 1058/चि0-3-2022—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0 प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम—19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्रागवृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0 प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97,

दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

[ii] उ0 प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	चिकित्सा इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	53800044835	एस-15	डा0 अरूण कुमार यादव पुत्र श्री मोतीलाल यादव	म0नं0-172, महराजगंज, भैरवनाथ मन्दिर, ग्राम देवारिकादीन, महराजगंज, आजमगढ़-276137	सी-17, दिलकुशा कॉलोनी, विक्रमादित्य मार्ग के पास, लखनऊ-226001	कार्यालय मुख्य चिकित्सा-धिकारी, मऊ	मऊ।
2	53800017539	एस-20	डा0 सुमैया अहमद पुत्री श्री आफताब अहमद	म0नं0-107, नीमतल, जलालपुर, अम्बेडकरनगर	फैकल्टी क्वाटर कैरियर डेन्टल कॉलेज, लखनऊ	कार्यालय मुख्य चिकित्सा-धिकारी, आजमगढ़	आजमगढ़।

सं0 1061/चि0-3-2022—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0 प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (माइक्रोबायोलाजिस्ट) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों

एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0 प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

[ii] उ0 प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	पत्र-व्यवहार का पता	चिकित्सा इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8
	53800020604	एस-01	डा0 मयूरी श्रीवास्तव पत्नी श्री संकल्प पाण्डेय	अनाज मण्डी, गोदारपुर, यू0एस0एन0, उत्तराखण्ड	102, ई0बी0आर0ओ0-एच, ओमेक्स, यू0एस0एन0, उत्तराखण्ड	जिला पुरुष चिकित्सालय बरेली	बरेली।
2	53800021019	एस-02	डा0 अंकिता त्रिपाठी पत्नी श्री सुमित कुमार मिश्रा	ग्राम खरौली पोस्ट बीघापुर, जिला गायत्री उन्नाव-209865	म0नं0-एच0एस0-03 गायत्री निवास, कृष्णापुरम निवास कानपुर नगर-208007	जिला पुरुष चिकित्सालय रायबरेली	रायबरेली।
3	53800008596	एस-04	डा0 विश्वनाथ सिंह यादव पुत्र श्री औसान सिंह यादव	म0नं0-67, शाकुन्तलानगर, नवीन मण्डी स्थल के पास, इटावा-206001	122ए/1 तृतीय तल गौतम नगर, नई दिल्ली-110049	सिविल चिकित्सालय, फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद।
4	53800030789	एस-13	डा0 देवेन्द्र कुमार निरंजन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार निरंजन	म0नं0-81, ग्राम घुटई, मो0-महोबकंठ, जिला महोबा-210429	सी-88, शिवजीपुरम् नियर सेक्टर-14, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016	जिला पुरुष चिकित्सालय हमीरपुर	हमीरपुर।

सं0 1063/चि0-3-2022—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0 प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (चर्म रोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम–19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0 प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

[ii] उ0 प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	पत्र-व्यवहार का पता	चिकित्सा इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8
	53800045913	एस-03	डा0 उषा चन्द्रा पुत्री श्री बाल चन्द्रा	एस0–24/143, बी0, टकटकपुर, वाराणसी-221002	ग्राम शादियामऊ, पो0 उरदौली, सीतीपुर-261141	जिला पुरुष चिकित्सालय बलिया	बलिया।
2	53800014189	एस-04	डा0 राहुल त्रिपाठी पुत्र श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी	06, जी0आर0 ले-आउट, केरीगुड्डाढल्ली, चिक्काबनवारा, पोस्ट-बंगलौर	प्रसाद हास्पिटल, लखनऊ-226401	पंडित दीन दयाल उपाध्याय, संयुक्त चिकित्सालय, अलीगढ़	अलीगढ़।

1	2	3	4	5	6	7	8
3	53800038977	एस-09	डा0 विनीत कुमार साहू पुत्र श्री संतोष कुमार साहू	1387, तनु फोटोकॉपी के सामने, राजीव कॉलोनी, देवहरा मण्डला, म0प्र0-481661	बी0-520, द्वारिका परिसर, अरविन्द विहार, बागमुडालिया, भोपाल- म0प्र0-462043	जिला पुरुष चिकित्सालय हमीरपुर	हमीरपुर।
4	53800040802	एस-10	डा0 सोनल सचान पत्नी श्री ऋत्विक मिश्रा	133/289, ट्रांसपोर्टनगर, कानपुर नगर-208023	133/289, ट्रांसपोर्टनगर, कानपुर नगर-208023	जिला पुरुष चिकित्सालय फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद।
5	53800041892	एस-12	डा0 विक्रांत चौबे पुत्र श्री उदय नरायण चौबे	807, वाई-एस यमुना डी0-6 बसन्तकुन्ज, साउथ वेस्ट, दिल्ली-110070	807, वाई-एस यमुना डी0-6 बसन्तकुन्ज, साउथ वेस्ट, दिल्ली-110070	एस0बी0डी0 जिला पुरुष चिकित्सालय सहारनपुर	सहारनपुर।

सं0 1065/चि0-3-2022—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0 प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (रेडियोलाजिस्ट) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम–19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0 प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

[ii] उ0 प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	चिकित्सा इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	53800004828	एस-06	डा0 अभिजीत सिंह पुत्र श्री राम प्रताप सिंह	9/38, वैष्णो विहार, बंडी पटीया, बजरडीहा, वाराणसी-221109	9/38, वैष्णो विहार, बंडी पटीया, बजरडीहा, वाराणसी-221109	जिला संयुक्त चिकित्सालय शामली	शामली।

आज्ञा से,
रविन्द्र,
सचिव।

अनुभाग-8

तैनाती

27 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 5—8099/43/2022—8—डा0 तरूण राजपूत द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में योजित निर्देश याचिका संख्या—2738/2011 डा0 तरूण राजपूत बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2015 को पारित आदेश के क्रम में महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र संख्या गोपन/कोर्टकेस/2022/94, दिनांक 14 जनवरी, 2022 द्वारा महानिदेशालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा डा0 तरूण राजपूत (वरिष्ठता क्रमांक-12411क-1), चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वा0 केन्द्र, भूडबराल, जनपद मेरठ को दिनांक 17 दिसम्बर, 2017 से 04 वर्षीय प्रथम विशिष्ट ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किये जाने की संस्तुति/प्रस्ताव ब्राडसीट सहित उपलब्ध करायी गई।

2—महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गई उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त डा0 तरूण राजपूत (वरिष्ठता क्रमांक-12411क-1), चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वा0 केन्द्र, भूडबराल, जनपद मेरठ को दिनांक 17 दिसम्बर, 2017 से 04 वर्षीय प्रथम विशिष्ट ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डा0 मन्नान अख्तर,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0—47 हिन्दी गजट—भाग 1—2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–एडी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 फरवरी, 2023 ई० (माघ 29, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

(अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

17 जनवरी, 2023 ई0

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम अतरी में रकबा 2.676 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वही अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	अतरी	1	0.057
2					6	0.022
3					9	0.004
4					11	0.716
5					10	0.087
6					15	0.612
7					35	0.014
8					34	0.237
9					16	0.214
10					17	0.114

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
11	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	अतरी	27	0.113
12					26	0.001
13					25	0.018
14					24	0.039
15					90	0.341
16					23	0.018
17					22	0.018
18					21	0.012
19					20	0.032
20					19	0.007
					योग ...	**2.676**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम चौकी में रकबा 6.5701 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन

आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वही अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	चौकी	40	0.071
2					41	0.198
3					43	0.100
4					42	0.105
5					45	0.114

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
6	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	चौकी	46	0.009
7					47	0.077
8					56	0.180
9					55	0.116
10					54	0.497
11					53	0.217
12					52	0.296
13					51	0.247
14					50	0.168
15					48	0.091
16					67	0.089
17					49	0.070
18					59	0.001
19					60	0.067
20					62	0.112
21					63	0.120
22					65	0.042
23					66	0.134
24					68	0.153
25					69	0.166
26					70	0.067
27					78	0.035
28					83	0.224
29					84	0.113
30					32	0.016
31					89	0.017
32					82	0.0001
33					81	0.177
34					26	0.017
35					27	0.009
36					28	0.019

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
37	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	चौकी	85	0.314
38					86	0.403
39					87	0.273
40					95	0.186
41					88	0.055
42					94	0.009
43					96	0.319
44					97	0.207
45					98	0.287
46					99	0.200
47					100	0.150
48					101	0.008
49					102	0.025
					योग ...	**6.5701**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम चानीडीहा में रकबा 8.8051 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर

सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वही अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	चानीडीहा	17	0.133
2					18	0.127
3					19	0.005
4					20	0.0001
5					34	0.144
6					33	0.015
7					30	0.047
8					31	0.047
9					32	0.218

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
10	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	चानीडीहा	60	0.214
11					66	0.046
12					67	0.028
13					74	0.122
14					75	0.045
15					73	0.059
16					69	0.005
17					72	0.244
18					71	0.036
19					144	0.004
20					114	0.004
21					115	0.056
22					116	0.004
23					117	0.023
24					118	0.094
25					113	0.481
26					304	0.002
27					306	0.014
28					307	0.093
29					309	0.109
30					310	0.063
31					311	0.194
32					312	0.157
33					300	0.056
34					395	0.590
35					396	0.025
36					397	0.135
37					404	0.001
38					411	0.024
39					413	0.089
40					414	0.036
41					415	0.010
42					416	0.013
43					419	0.049
44					418	0.043
45					420	0.120
46					421	0.047
47					422	0.007
48					438	0.061

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
49	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	चानीडीहा	440	0.005
50					434	0.140
51					435	0.122
52					436	0.106
53					437	0.098
54					439	0.100
55					459	0.017
56					490	0.214
57					552	0.200
58					551	0.171
59					550	0.150
60					549	0.217
61					548	0.009
62					533	0.024
63					543	0.013
64					544	0.014
65					545	0.007
66					546	0.007
67					547	0.006
68					542	0.175
69					535	0.025
70					530	0.009
71					536	0.067
72					524	0.019
73					529	0.034
74					525	0.013
75					511	0.261
76					509	0.411
77					638	0.017
78					636	0.003
79					637	0.128
80					635	0.159
81					634	0.013
82					639	0.002
83					628	0.135
84					627	0.060
85					629	0.185
86					687	0.047
87					686	0.011

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
88	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	चानीडीहा	688	0.010
89					689	0.113
90					728	0.085
91					727	0.023
92					726	0.002
93					731	0.014
94					732	0.013
95					733	0.027
96					735	0.046
97					734	0.274
98					729	0.646
99					510	0.019
					योग ...	**8.8051**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम बारी गाँव में रकबा 3.0691 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के

सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	बारी गाँव	91	0.075
2					92	0.097
3					93	0.225
4					89	0.014
5					84	0.007
6					85	0.038
7					86	0.0001
8					88	0.341

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
9	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	बारी गाँव	87	0.316
10					102	0.020
11					78	0.007
12					99	0.062
13					100	0.008
14					101	0.078
15					103	0.031
16					105	0.001
17					155	0.020
18					156	0.224
19					157	0.205
20					158	0.096
21					159	0.307
22					160	0.004
23					161	0.094
24					162	0.004
25					163	0.145
26					164	0.035
27					165	0.034
28					166	0.003
29					167	0.089
30					172	0.125
31					173	0.092
32					175	0.272
					योग ...	**3.0691**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम भूअर में रकबा 0.957 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	भूअर	20	0.033
2					22	0.924
					योग ...	**0.957**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना बांसी पूरब, ग्राम चिट्ठापार में रकबा 1.857 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वही अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन

यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है :—

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	बांसी पूरब	चिट्ठापार	130	0.352
2					128	0.213
3					131	0.017
4					124	0.022
5					123	0.144
6					122	0.478
7					133	0.019
8					145	0.147
9					144	0.088
10					143	0.138
11					142	0.239
					योग ...	**1.857**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम बरहटा में रकबा 0.573 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है :–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	बरहटा	220/309	0.010
2					220	0.001
3					221	0.169
4					223	0.012
5					224	0.381
					योग ...	**0.573**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम बढ़या बाबू में रकबा 2.047 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा, माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	बढ़या बाबू	514	0.174
2					513	0.001
3					520	0.050
4					521	0.132
5					508	0.039
6					509	0.007
7					507	0.092
8					522	0.001
9					523	0.291
10					449	0.054
11					450	0.053
12					448	0.113
13					447	0.100
14					457	0.010
15					445	0.131
16					459	0.133
17					444	0.165

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
18	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	बढ़या बाबू	440	0.036
19					443	0.034
20					442	0.030
21					441	0.042
22					435	0.076
23					436	0.036
24					437	0.075
25					434	0.071
26					433	0.052
27					430	0.028
28					429	0.021
					योग ...	**2.047**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम भिरवा में रकबा 2.217 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधाएँ प्राप्त होगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	भिरवा	39	0.031
2					40	0.072
3					41	0.245
4					42	0.285
5					43	0.015
6					44	0.012
7					53	0.202
8					48	0.005
9					52	0.018
10					54	0.150
11					55	0.133
12					107	0.022
13					111	0.002

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
14	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	भिरवा	108	0.530
15					110	0.062
16					101	0.165
17					117	0.201
18					161	0.044
19					100	0.014
20					99	0.009
					योग ...	**2.217**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना बांसी पूरब, ग्राम भगवानपुर में रकबा 4.4868 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा हैं।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	बांसी पूरब	भगवानपुर	680	0.153
2					693	0.346
3					692	0.121
4					691	0.330
5					690	0.001
6					700	0.020
7					710	0.315
8					709	0.012
9					718	0.231
10					782	0.021
11					773	0.125
12					719	0.048
13					772	0.102

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
14	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	बांसी पूरब	भगवानपुर	729	0.064
15					730	0.081
16					731	0.082
17					732	0.006
18					735	0.0528
19					736	1.973
20					737	0.051
21					738	0.101
22					650	0.130
23					734	0.120
24					743	0.001
					योग ...	**4.4868**

6—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच—खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम बडहरा में रकबा 2.0213 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन

आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है :–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	बडहरा	16	0.045
2					15	0.530
3					14	0.086
4					4	0.009
5					8	0.033
6					9	0.092
7					7	0.072
8					32	0.009

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
9	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	बडहरा	33	0.029
10					34	0.117
11					35	0.015
12					43	0.032
13					50	0.067
14					51	0.163
15					52	0.010
16					48	0.004
17					59	0.220
18					58	0.037
19					57	0.161
20					56	0.078
21					61	0.049
22					62	0.055
23					66	0.0001
24					67	0.013
25					68	0.013
26					69	0.016
27					70	0.008
28					71	0.006
29					72	0.008
30					73	0.012
31					74	0.024
32					78	0.0082
					योग ...	**2.0213**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम खुरजहना में रकबा 4.327 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है :–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	खुरजहना	309	0.039
2					106	0.105
3					105	0.005
4					104	0.008
5					108	0.097
6					107	0.208
7					111	0.039
8					112	0.183
9					114	0.001
10					113	0.315
11					121	0.141
12					122	0.017
13					137	0.048
14					136	0.052
15					133	0.185
16					134	0.045
17					132	0.097
18					131	0.010
19					130	0.009
20					128	0.107
21					129	0.013
22					153	0.054
23					152	0.035
24					156	0.243
25					157	0.011
26					158	0.226
27					160	0.026
28					159	0.188

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
29	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	खुरजहना	230	0.011
30					229	0.008
31					227	0.274
32					226	0.151
33					236	0.013
34					237	0.014
35					235	0.028
36					238	0.063
37					225	0.077
38					240	0.055
39					241	0.020
40					244	0.008
41					243	0.006
42					245	0.172
43					242	0.209
44					246	0.152
45					247	0.011
46					249	0.223
47					250	0.291
48					307	0.034
					योग ...	**4.327**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच—खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम नाउडाड़ में रकबा 2.167 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वही अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच—खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	नाउडाड़	162	0.026
2					163	0.209
3					166	0.065
4					167	0.056
5					165	0.002
6					164 / 238	0.005
7					170	0.031
8					168	0.116
9					169	0.130
10					171	0.128
11					176	0.279
12					178	0.354
13					177	0.128
14					179	0.124
15					180	0.091
16					181	0.153
17					182	0.218
18					185	0.052
					योग ...	**2.167**

6—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम नाजिरजोत में रकबा 1.344 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	नाजिरजोत	1	0.141
2					2	0.058
3					10	0.026
4					9	0.007
5					11	0.114
6					12	0.018
7					17	0.100
8					16	0.047
9					15	0.004
10					18	0.049
11					19	0.086
12					20	0.083
13					25	0.220
14					24	0.018
15					50	0.051
16					51	0.110
17					54	0.003
18					52	0.006
19					53	0.203
					योग ...	**1.344**

6—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम मखदूमपुर में रकबा 0.6463 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वही अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	मखदूमपुर	69	0.010
2					70	0.056
3					71	0.129
4					72	0.165
5					73	0.079
6					39	0.2073
					योग ...	**0.6463**

6—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम चकमदारूल्लाह उर्फ मलोरना में रकबा 5.6631 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वही अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है :–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	चकमदारूल्लाह उर्फ मलोरना	9	0.206
2					13	0.082
3					14	0.106
4					15	0.042
5					16	0.012
6					8	0.059
7					181	0.026
8					178	0.123
9					176	0.362
10					28/434	0.007

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
11	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	चकमदारूल्लाह उर्फ मलोरना	16/436	0.019
12					21	0.014
13					22	0.022
14					172	0.250
15					171	0.063
16					169	0.242
17					168	0.020
18					167	0.115
19					159	0.027
20					156	0.0001
21					157	0.066
22					158	0.016
23					93	0.005
24					94	0.345
25					97	0.451
26					99	0.353
27					101	0.018
28					103	0.320
29					102	0.006
30					104	0.263
31					83	0.018
32					82	0.102
33					375	0.015
34					374	0.005
35					373	0.005
36					376	0.283
37					378	0.254
38					379	0.221
39					380	0.019
40					381	0.256

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
41	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	चकमदारूल्लाह उर्फ मलोरना	382	0.007
42					392	0.086
43					393	0.071
44					394	0.166
45					418	0.022
46					419	0.028
47					420	0.074
48					417	0.007
49					422	0.165
50					423	0.097
51					424	0.122
					योग ...	**5.6631**

6–अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा–11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम लोरिक वारी में रकबा 0.941 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	लोरिक वारी	55	0.282
2					56	0.014
3					54	0.075
4					41	0.218
5					40	0.010
6					39	0.015
7					37	0.161
8					38	0.143
9					36	0.023
					योग ...	**0.941**

6–अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा–11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम कड़सरी में रकबा 2.781 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की

सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	कड़सरी	36	0.005
2					37	0.012
3					38	0.120
4					43	0.114
5					39	0.156
6					40	0.014
7					41	0.240
8					42	0.080
9					67	0.285
10					66	0.358
11					65	0.003
12					105	0.067
13					82	0.024
14					86	0.005
15					89	0.078
16					90	0.118
17					91	0.019
18					96	0.256
19					97	0.015
20					103	0.236

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
21	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	कड़सरी	102	0.360
22					101	0.102
23					106	0.009
24					107	0.058
25					110	0.037
26					111	0.003
27					112	0.007
					योग ...	**2.781**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम जीनखाल में रकबा 4.463 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	जीनखाल	1	0.231
2					39	0.023
3					40	0.356
4					38	0.058
5					37	0.088
6					43	0.043
7					44	0.347
8					45	0.227
9					52	0.090
10					51	0.167
11					50	0.009
12					48	0.025

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
13	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	जीनखाल	49	0.022
14					57	0.427
15					47	0.504
16					55	0.166
17					58	0.144
18					59	0.023
19					60	0.058
20					61	0.553
21					66	0.251
22					65	0.361
23					63	0.095
24					62	0.001
25					67	0.104
26					64	0.090
					योग ...	**4.463**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम हरापट्टी में रकबा 2.797 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों

का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	हरापट्टी	105	0.089
2					102	0.197
3					104	0.170
4					103	0.024
5					96	0.171
6					98	0.080
7					97	0.041
8					93	0.101

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
9	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	हरापट्टी	94	0.089
10					89	0.108
11					90	0.138
12					86	0.083
13					87	0.067
14					85	0.113
15					83	0.200
16					84	0.041
17					82	0.013
18					74	0.149
19					75	0.236
20					76	0.245
21					78	0.258
22					80	0.134
23					81	0.011
24					293	0.008
25					294	0.003
26					295	0.028
					योग ...	**2.797**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच

खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना बांसी पूरब, ग्राम गौरा में रकबा 10.163 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	बांसी पूरब	गौरा	16	0.236
2					18	0.049
3					17	0.339
4					29	0.039
5					14	0.645
6					15	0.039
7					12	0.047
8					28	0.056
9					27	0.008
10					23	0.016
11					22	0.669
12					20	0.310
13					21	0.568
14					19	0.036
15					90	0.015
16					89	0.041
17					83	0.341
18					77	0.219
19					69	0.266
20					70	0.012
21					68	0.036
22					67	0.248
23					66	0.241
24					104	0.024
25					105	0.035
26					170	1.953
27					117	0.034

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
28	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	बांसी पूरब	गौरा	129	0.193
29					128	0.478
30					125	0.108
31					124	0.005
32					126	0.404
33					127	0.133
34					295	0.037
35					134	0.037
36					133	0.071
37					132	0.057
38					131	0.097
39					135	0.006
40					299	0.035
41					294	1.401
42					293	0.193
43					292	0.190
44					321	0.011
45					322	0.010
46					291	0.005
47					123	0.001
48					64	0.169
					योग ...	**10.163**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम देवकली में रकबा 1.006 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	देवकली	178	0.129
2					177	0.096
3					176	0.023
4					175	0.031
5					179	0.037
6					180	0.041
7					174	0.166
8					173	0.020
9					144	0.012
10					139	0.074
11					138	0.222
12					137	0.116
13					136	0.039
					योग ...	**1.006**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम देवापार (देउवापार) में रकबा 3.877 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	देवापार (देउवापार)	12	0.164
2					112	0.517
3					111	0.017
4					110	0.009
5					113	0.270
6					114	0.140
7					115	0.015
8					116	0.006
9					117	0.009
10					122	0.741
11					131	0.063
12					132	0.081
13					134	0.011
14					135	0.002
15					137	0.062
16					138	0.141
17					229	0.140
18					230	0.012
19					231	0.258
20					233	0.496
21					235	0.202
22					237	0.141
23					236	0.056
24					238	0.140
25					239	0.013
26					240	0.012
27					241	0.007
28					242	0.003
29					243	0.047
30					244	0.077
31					245	0.025
					योग ...	**3.887**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्‌देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम सई बुजुर्ग में रकबा 1.828 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	सई बुजुर्ग	250	0.099
2					251	0.123
3					252	0.013
4					256	0.010
5					254	0.054
6					261	0.239
7					259	0.030
8					260	0.091
9					244	0.017
10					228	0.008
11					229	0.210
12					230	0.325
13					231	0.020
14					265	0.002
15					267	0.005
16					268	0.115
17					283	0.060
18					275	0.050
19					277	0.020
20					276	0.006
21					276 / 510	0.001
22					278	0.001
23					280	0.202
24					281	0.013
25					271	0.114
					योग ...	**1.828**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम तरकुलवा में रकबा 3.4822 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की

सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	तरकुलवा	127	0.218
2					124	0.002
3					126	0.073
4					125	0.001
5					128	0.380
6					129	0.001
7					131	0.027
8					133	0.249
9					134	0.194
10					135	0.139
11					136	0.768
12					137	0.042
13					200	0.026
14					203	0.223
15					204	0.045
16					205	0.857
17					206	0.029
18					207	0.173
19					208	0.035
20					210	0.0002
					योग ...	**3.4822**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्‌देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम सरैया में रकबा 1.599 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	सरैया	213	0.149
2					214	0.082
3					215	0.298
4					216	0.061
5					217	0.306
6					221	0.075
7					222	0.122
8					220	0.011
9					223	0.005
10					230	0.081
11					231	0.085
12					232	0.015
13					247	0.061
14					248	0.031
15					249	0.033
16					250	0.036
17					251	0.033
18					252	0.094
19					253	0.021
					योग ...	**1.599**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम समदा में रकबा 2.4792 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	समदा	8	0.004
2					9	0.179
3					14	0.223
4					5	0.0001
5					11	0.005
6					13	0.031
7					12	0.303
8					15	0.008
9					19	0.020
10					20	0.057
11					40	0.104
12					41	0.015
13					38	0.015
14					37	0.004
15					39	0.139
16					35	0.003
17					36	0.313
18					34	0.002
19					31	0.0001
20					76	0.052
21					85	0.040
22					78	0.605
23					248	0.026
24					246	0.033
25					243	0.033
26					242	0.038
27					249	0.227
					योग ...	**2.4792**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम परसोहिया में रकबा 3.264 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है–

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे–परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	परसोहिया	28	0.024
2					31	0.102
3					32	0.004
4					33	0.069
5					34	0.100
6					35	0.002
7					39	0.050
8					38	0.051
9					40	0.008
10					41	0.095
11					27	0.033
12					24	0.005
13					22	0.019
14					21	0.060
15					42	0.008
16					43	0.100
17					83	0.009
18					89	0.115
19					88	0.052
20					93	0.011
21					110	0.063
22					108	0.028
23					107	0.051

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
24	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	परसोहिया	106	0.009
25					109	0.029
26					126	0.009
27					139	0.082
28					130	0.018
29					131	0.019
30					132	0.024
31					133	0.021
32					135	0.073
33					134	0.037
34					129	0.002
35					153	0.013
36					181	0.004
37					180	0.063
38					168	0.089
39					169	0.021
40					179	0.058
41					174	0.056
42					170	0.028
43					171	0.027
44					172	0.024
45					173	0.041
46					192	0.008
47					196	0.032
48					197	0.055
49					198	0.058
50					199	0.041
51					203	0.009
52					227	0.008
53					226	0.023
54					225	0.016
55					224	0.025
56					223	0.020

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
57	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	परसोहिया	222	0.014
58					221	0.011
59					208	0.030
60					209	0.060
61					210	0.146
62					211	0.069
63					213	0.045
64					214	0.074
65					215	0.062
66					564	0.045
67					565	0.019
68					568	0.102
69					567	0.093
70					569	0.060
71					577	0.007
72					572	0.004
73					571	0.005
74					570	0.016
75					251	0.032
76					216	0.009
77					217	0.004
78					218	0.004
79					219	0.009
80					220	0.011
81					231	0.001
82					230	0.022
83					232	0.015
84					236	0.023
85					237	0.017
86					240	0.017
87					241	0.026
88					242	0.028
89					249	0.023
90					250	0.060
					योग ...	**3.264**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1709—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उप मुख्य अभियन्ता कंस्ट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद संतकबीरनगर, तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, ग्राम मदरहा में रकबा 3.999 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर संतकबीरनगर) को अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिर्सोस एण्ड टेक्नोलॉजी (सीवार्ट) वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत/तहसील स्तर से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास कृषिगत मजदूरी में कमी चारागाह/खलिहान में कमी प्रदूषण में वृद्धि बताई गयी। वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गयी है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वभाविक है, किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि अवशेष जोत का उन्नयन रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुँच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास बेहतर आवास के निर्माण परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है आदि से किसान लाभान्वित होंगे, जिससे कृषि जोत में आयी कमी को पूर्ण किया जा सकता है परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाईन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे—परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत् आदि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से सम्भावित है कि नई रेल लाईन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से सम्भावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी0जी0 नई रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुए आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थपित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	मदरहा	14	0.009
2					15	0.216
3					17	0.004
4					16	0.290
5					38	0.022
6					37	0.426
7					39	0.006
8					69	0.247
9					70	0.026
10					71	0.422
11					72	0.102
12					73	0.012
13					74	0.116
14					76	2.079
15					149	0.008
16					171	0.014
					योग ...	**3.999**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा संतकबीरनगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रेम रंजन सिंह,
जिलाधिकारी, संतकबीरनगर।

पी0एस0यू0पी0—47 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-एल०डब्लू०/एन०पी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 फरवरी, 2023 ई० (माघ 29, 1944 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 09 जनवरी, 2023 ई0 / पौष 19, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं0 82/उ0प्र0-वि0स0/15/2017(इला0)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, वर्ष 2017 की निर्वाचन अर्जी संख्या 15 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, इलाहाबाद के दिनांक 09 नवम्बर, 2022 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
पवन दीवान,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 09th *January,* 2023 / 19th *Pausha,* 1944 *(Saka).*

NOTIFICATION

No. 82/UP-LA/15/2017(Alld.)–In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 09th November, 2022 of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, Allahabad in Election Petition No. 15 of 2017.

By order,
PAWAN DIWAN,
Secretary,
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Election Petition No. 15 of 2017

(*Under Section 81 read with Section 80, 80-A, 82 and 117 of R.P.A. Act-1951, Representation of the People Act, 1951*)

District : Allahabad.

Kaushal Kumar Singh S/o Brij Vanshi Singh,

(Voter I.D. No. YYU1726587, 262-Allahabad-North, Assembly Constituency Electoral Roll,

Part No. 228 Serial No. 290)

R/o 19/5A, M.G. Marg, Civil Line, Allahabad.,

Mobile No. 9839066333, 9455686876,

... Petitioner.

Versus

1. Harshvardhan Bajpai,

   (Returned Candidate, 262-Allahabad-North, U.P. Legislative Assembly Constituency,

   Political Party-B.J.P.)

   S/o Ashok Kumar Bajpai,

   R/o 109, Rambagh, Allahabad, U.P.

   Mobile No. 9415215976
2. Ambrish Srivastava, The Then Retruning Officer, 262, Allahabad North Legislative Assembly Constituency, Allahabad.

   C/o District Magistrate, Allahabad.
3. Election Commission of India Through its Principal Secretary/Director, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.
4. State Election Officer, U.P. at Lucknow.
5. District Election Officer, Allahabad.
6. Returning Officer, 262, Allahabad North, Legislative Assembly Constituency, Allahabad.

... Respondent.

Court No. –73

Case :– Election Petition No. 15 of 2017

Petitioner :– Kaushal Kumar Singh

Respondent :– Harshvardhan Bajpai And 5 Others

Counsel for Petitioner :– Gyanendra Srivastava, Harsh Vardhan Bajpai, In Person, Kaushal Kumar Singh

Counsel for Respondent :– K. R. Singh

Hon'ble Raj Beer Singh, *J.*

1. No one is appearing on behalf of the petitioner to press this petition. In view of the facts of the matter, no useful purpose would be served by keeping this petition pending, hence the petition is being decided finally.

2. Perusal of record shows that the petitioner filed this election petition under section 80/81 of the Representation of the People Act (hereinafter after refereed as 'R.P. Act'), on 25.04.2017 challenging the election of the respondent No.1 /returned candidate, seeking following reliefs:

(A) Declare the impugned election of respondent No. 1 (Returned candidate, 262 Allahabad North Assembly Constituency) as null and void and set aside the same.

(B) Pass any other order or direction which the Court may deem fit and proper in the facts of the case.

(C) Award costs to the petitioner.

3. It appears from record that in the month of January 2017 the proclamation/Notification was issued for election of members to the State Legislative Assembly, U.P. The last date of nomination for constituency of 262 Allahabad City North, was 06.02.2017. The petitioner has submitted his nomination papers on 06.02.2017 to contest the election from aforesaid constituency but after scrutiny, his nomination was rejected by the Returning Officer on 07.02.2017. Thereafter, elections were held as per the schedule and after the election, the respondent no. 1 was declared elected.

4. During pendency of the election petition, the Legislative Assembly came to be dissolved in the month of March, 2022 after the term of five years was over.

5. It well settled practice a Court should not undertake to decide an issue, unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it. However, in cases where allegations of corrupt practices are involved in view of Section 8-A of R.P. Act, under which a person found guilty of corrupt practices by an order under Section 99 R. P. Act will incur electoral disqualification up to six years from the date of the order in that regard, in such a case the trial of an election petition must reach to its logical end. In this connection reference may be made to following cases:

(I) Loknath Pradhan *vs.* Birendra Kumar Sahu AIR 1974 SC 505.

(ii) Sohan Lal *vs.* Asha Ram and Ors (1981) 1 SCC 106.

(iii) Kashi Nath Mishra *vs.* Vikramaditya Pandey and others 1998 (8) SCC 735,

(iv) Romesh *vs.* Ramesh K. Rana and others (2000) 9 Supreme Court Cases 265

(v) Prem Pal Singh *vs.* Satyapal Singh (E.P. No. 12 of 2017), decided by this Court on 03.03.2020.

6. In the instant matter the petitioner has sought the relief to declare the election of respondent No. 1 as Member of Legislative Assembly from 262 Allahabad City North Assembly Constituency, null and void and set aside same. The main ground of petitioner is that the rejection of his nomination papers by the

Returning Officer was illegal and arbitrary. It may noted that during pendency of this petition, the term of the Assembly, for which the respondent No. 1 was elected, is already over and the Assembly has been dissolved by efflux of time and that fresh Legislative Assembly has been constituted. There are no allegations of corrupt practice in the petition. In view of these facts, the relief sought by the petitioner has been rendered infructuous. It is consistent view of the Hon'ble Supreme Court that the time of the Court is precious one and academic exercise is not warranted unless still some relief may be granted to petitioner may be followed. Therefore, this Court finds that there is no impediment or obstacle in dismissing the election petition, as the prayer itself has become infructuous.

7. In view of the aforesaid discussion, the election petition is dismissed as infructuous.

No order as to cost.

Order Date :- 9.11.2022

A. Tripathi

(*Sd.*) RAJ BEER SINGH, *J.*

By order,
PAWAN DIWAN,
Secretary,
Election Commission of India.

आज्ञा से,
रत्नेश सिंह,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–47 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–175 निर्वाचन–15.02.2023–25 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 फरवरी, 2023 ई० (माघ 29, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि मैं प्रथम गुप्ता पुत्र नितिन कुमार गुप्ता मेरे हाई स्कूल अंक-पत्र सह प्रमाण-पत्र में माता का नाम रुचि गुप्ता लिखा है मेरी माता का सही नाम दीपमाला गुप्ता है। रुचि गुप्ता और दीपमाला गुप्ता दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इसलिए मेरी माता का नाम दीपमाला गुप्ता लिखा जाना आवश्यक है।

प्रथम गुप्ता,
पुत्र नितिन कुमार गुप्ता,
महोलीपुरा, बहराइच।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 सुरभि माता प्रोपर्टीज, 13 जयसिंहपुरा, गायत्री तपोभूमि, मथुरा में दिनांक 12 नवम्बर, 2022 से परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह है कि उक्त फर्म से श्री वीरेन्द्र सिंह देशवाल पुत्र स्व0 अमर सिंह निवासी-भडीरा, भरतपुर, राजस्थान तथा श्रीमती साध्वी अनीताबाई पुत्री श्री गजेन्द्र सिंह शर्मा निवासी-गनेश वाटिका कॉलोनी, जयसिंह पुरा बांगर, गायत्री तपोभूमि, मथुरा पूर्व द्वितीय व तृतीय पक्ष आपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये है, अब फर्म में श्री रामस्नेह, श्री अनूपनन्द महाराज, तथा श्रीमती राखी भागीदार हो गये है।

रामस्नेह,
भागीदार,
मे0 सुरभि माता प्रोपर्टीज,
13 जयसिंहपुरा, गायत्री तपोभूमि, मथुरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदार फर्म मे0 श्री गिर्राज महाराज रीयल एस्टेट, 249/50, बी0एस0ए0 कॉलेज रोड़, चन्द्रा नगर, मथुरा-281001 के साझेदारों में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

उक्त फर्म के पूर्व भागीदार श्री संजय वोहरा पुत्र स्व0 तेजभान सिंह वोहरा, निवासी-म0नं0-13, पॉकेट-ई-15, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली, श्री दयाल दास वोहरा पुत्र स्व0 अनन्तराम वोहरा निवासी-म0नं0-34/11, लेबर कालोनी, सहारनपुर, श्री भगवान दास वोहरा पुत्र स्व0 अनन्तराम वोहरा निवासी-म0नं0-58, प्रथम पैराडाइज, नियर सोमनाथ नगर, तारसाली, बड़ौदा, गुजरात, श्री रामस्वरूप वोहरा पुत्र स्व0 अनन्तराम वोहरा निवासी-

म0नं0-54, फर्स्ट फ्लोर, मैन रोड़, कालकाजी, न्यू दिल्ली-110019, दिनांक 01 जनवरी, 2018 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में दिनांक 01 जनवरी, 2018 से श्री तेजवीर सिंह, श्री राजेश अरोरा, श्री मनोज शर्मा व श्री राजवीर सिंह भागीदार रह गये हैं।

तेजवीर सिंह,
भागीदार,
मे0 श्री गिर्राज महाराज रीयल एस्टेट,
249/50, बी0एस0ए0 कॉलेज रोड़,
चन्द्रा नगर, मथुरा-281001।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स चौधरी नर्सिंग एण्ड कामर्शियल सेन्टर, एस-1, यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 चिनहट देवा रोड, जिला-लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में डॉ0 ए0 के0 मिड्ढा, श्रीमती किरन मल्होत्रा एवं श्रीमती मेनका सिंह साझेदार थे जिसमें से एक साझेदार श्रीमती किरन मल्होत्रा दिनांक 29 अगस्त, 2016 से फर्म की साझेदारी से अलग हो गयी, वर्तमान में फर्म में दो साझेदार डॉ0 ए0 के0 मिड्ढा एवं श्रीमती मेनका सिंह साझेदार है। जिसकी सूचना दी जा रही है।

डा0 ए0 के0 मिड्ढा,,
साझेदार,
चौधरी नर्सिंग एण्ड कामर्शियल सेन्टर,
जिला-लखनऊ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे हाईस्कूल के अंक सह प्रमाण-पत्र में मेरे माता एवं पिता के नाम की स्पेलिंग क्रमशः NARMDA DEVI एवं MALIK LAL अंकित है जो त्रूटिपूर्ण है। मेरे माता एवं पिता के नाम की सही स्पेलिंग क्रमशः NARAMADA DEVI एवं MANIK LAL PANDEY जो मेरे इण्टरमीडिएट अंक विवरणिका में अंकित है। जो सही है।

ओमू पाण्डेय,
पता—पूर्वी तिवारी टोला, रूद्रपुर,
देवरिया (उ0प्र0)।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का नाम ज्योति पत्नी स्व0 बसन्त लाल है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 895455321815 में घर का नाम ज्योति अंकित हो गया है। मेरा वास्तविक नाम सुशीला पत्नी स्व0 बसन्त लाल है, जो उसके बैंक खाता सं0 30576831639 में अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे सुशीला पत्नी स्व0 बसन्त लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

सुशीला,
पत्नी स्व0 बसन्त लाल,
पता—चाँदपुर सलोरी तहसील सदर,
प्रयागराज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 मन्जुला शीतगृह, ग्राम नादऊ, तहसील एत्मादपुर, जलेसर रोड, आगरा के साझेदारों/विधान में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है :—

उक्त फर्म में दिनांक 30 मार्च, 2015 से श्री संजीव गर्ग व श्रीमती पूनम अग्रवाल नये भागीदार के रूप में सम्मति हुये तथा पूर्व भागीदार श्रीमती पूजा अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म से अलग हो गयी तथा दिनांक 30 मार्च, 2016 से श्रीमती शालिनी गर्ग, श्री अजय गर्ग व श्री सुनन्द बंसल नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये तथा फर्म के पूर्व भागीदार श्री अनिल कुमार अग्रवाल व श्रीमती मंजुला अग्रवाल दिनांक 30 मार्च, 2016 से फर्म से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये। दिनांक 31 मार्च, 2018 को भागीदार श्री सुनन्द बंसल व श्रीमती पूनम अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये। अब दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को श्री जगवीर सिंह तोमर व श्री सत्यवीर सिंह फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा फर्म से श्रीमती शालिनी गर्ग व श्री अजय गर्ग उक्त दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से उक्त फर्म से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। वर्तमान में उक्त फर्म में श्री संजीव गर्ग, श्री जगवीर सिंह तोमर तथा श्री सत्यवीर सिंह ही भागीदार रह गये हैं।

संजीव गर्ग,
भागीदार,
मे0 मन्जुला शीतगृह,
ग्राम नादऊ तहसील एत्मादपुर,
जलेसर रोड, आगरा।

सूचना

फर्म मे0 जय श्री गिर्राज जी शीतालय, 24 एस0एन0 रोड, फिरोजाबाद पत्रावली संख्या एजी—8049 में दिनांक 31 जनवरी, 2023 को श्री सर्वेश यादव पुत्र श्री उदयवीर सिंह निवासी—174, मोहल्ला मिश्राना, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद, श्रीमती रामबेटी पत्नी श्री सर्वेश यादव निवासी—174, मोहल्ला मिश्राना, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद, फर्म की भागीदारी में सम्मलित हुये तद्दिनांक को प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 गुरनारायन अग्रवाल निवासी—207, दुर्गा नगर फिरोजाबाद, श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री हरविलास शर्मा निवासी—1/48, विभव नगर, फिरोजाबाद, श्रीमती ममता गर्ग पत्नी श्री प्रवीन कुमार गर्ग निवासी—सी-15, ऑर्चिड ग्रीन राजा का ताल फिरोजाबाद फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुये दिनांक 02 फरवरी, 2023 को

अमित कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विपिन कुमार अग्रवाल निवासी–207 दुर्गा नगर फिरोजाबाद फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुये वर्तमान फर्म में भागीदारी सर्वेश यादव, श्रीमती रामबेटी हैं।

सर्वेश यादव,
साझेदार,
मे0 जय श्री गिर्राज जी शीतालय,
24 एस0एन0 रोड,
फिरोजाबाद।

सूचना

फर्म मे0 किसान ट्रैक्टर्स अलीगढ़, मथुरा रोड, इगलास, अलीगढ़, पत्रावली संख्या ए0एल0आई–0001927 में दिनांक 06 फरवरी, 2023 को श्रीमती सविता चौधरी पुत्री श्री जिले सिंह निवासी– 175 असावर इगलास अलीगढ़ फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुई तद्दिनांक को श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री रामसिंह निवासी–सहारा खुर्द इगलास, अलीगढ़ फर्म की भागीदारी में सम्मलित हुये वर्तमान फर्म में साझीदारी श्री अरविन्द चौधरी, श्री लोकेश कुमार है।

अरविन्द चौधरी,
साझेदार,
मे0 किसान ट्रैक्टर्स,
अलीगढ़, मथुरा रोड, इगलास अलीगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/S Tegh Inc., S-39, Kanchan Jhanga Group Housing, Sector-53, Noida, Distt.-G.B. Nagar-201301 की साझीदारी में श्रीमती जगजीत कौर एवं श्री जितेन्द्र सिंह थे। दिनांक 06 जून, 2005 को श्री जितेन्द्र सिंह का स्वर्गवास होने के कारण फर्म की साझीदारी को विघटित कर दिया गया है। फर्म अब श्रीमती जगजीत कौर जी की प्रोपराईटरशिप में संचालित होगी। फर्म पर किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक/व्यक्ति का ऋण/देयता नहीं है। यदि पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी श्रीमती जगजीत कौर प्रोपराइटर की होगी। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जगजीत कौर,
M/S Tegh Inc.
S-39, Kanchan Jhanga Group Housing,
Sector-53, Noida,
Distt.-G.B. Nagar-201301.

सूचना

फर्म मे0 श्री बॉके बिहारी आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज इगलास रोड, सासनी, जिला–हाथरस। पत्रावली संख्या एजी–12685 में दिनांक 25 जनवरी, 2023 को श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा निवासी–शक्ति नगर अलीगढ़ व श्रीमती विमलेश शर्मा पत्नी श्री प्रेमप्रकाश शर्मा निवासी–एच0आई0जी0 10 पुष्पांजली, रामघाट रोड, अलीगढ़ फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुये तद्दिनांक को श्री गुरूप्रसाद उपाध्याय पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा निवासी–खेड़िया गुरूदेव पो0 तोछीगढ़ तह0 इगलास जिला अलीगढ़ फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये वर्तमान फर्म में भागीदार श्री बृजमोहन शर्मा एवं गुरूप्रसाद उपाध्याय हैं।

बृजमोहन शर्मा,
साझेदार,
मे0 श्री बॉके बिहारी आईस एण्ड कोल्ड स्टोरज,
इगलास रोड, सासनी, जिला हाथरस।

सूचना

मेरे पुत्र के हाई स्कूल सह अंक प्रमाण-पत्र जिसका रोल नम्बर–23185661 है में मेरा नाम जया कटियार अंकित है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। मेरा सही नाम जयन्ती देवी है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है।

जयन्ती देवी,
1260 महाराणा प्रताप नगर,
पिछोर, झांसी, उ0प्र0।

सूचना

मेरा शैक्षणिक समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम विमलेश चन्द्र सिंह (VIMLESH CHANDRA SINGH) दर्ज है, जो सही है। भारतीय सेना में अंग्रेजी में मेरा नाम (VIMLESH CHANDER SINGH) दर्ज है, जो गलत व त्रुटिपूर्ण है। मेरा नाम समस्त सरकारी दस्तावेजों में (VIMLESH CHANDRA SINGH) (विमलेश चन्द्र सिंह) दर्ज करना न्याय संगत है। विमलेश चन्द्र सिंह पुत्र स्व0 वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रग्घूखेड़ा, डाकघर–बारा, थाना–बारा सगवर, तहसील–बीघापुर, जिला–उन्नाव (उ0प्र0)।

विमलेश चन्द्र सिंह।

पी0एस0यू0पी0–47 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।